बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः— आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 योजना के अधीन मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल में भोजनादि के प्रबंध हेतु जीविका (शहरी) जीविका द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में।

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 योजना के अधीन मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना का कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या–2084, दिनांक–27.05.2021 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

2. उक्त के क्रम में वृद्धजन आश्रय स्थल में अंतःवासी के भोजनादि की व्यवस्था किया जाना है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों में जीविका (शहरी) जीविका द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जीविका (शहरी) जीविका द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' द्वारा उत्कृष्ट श्रेणी का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 के तहत भी स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता दिया जाना है। जिसे देखते हुये वृद्धजन आश्रय स्थल में अंतःवासी के भोजनादि की व्यवस्था जीविका (शहरी) जीविका द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' के माध्यम कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. विदित हो कि 'जीविका (शहरी) जीविका दीदी की रसोई, जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों के द्वारा संचालित किया जाता है। अतएव सामुदायिक संगठनों के आयवर्धन एवं जीविका (शहरी) जीविका दीदी की रसोई के सतत् संचालन हेतु यह आवश्यक हैं कि वृद्धजन आश्रय स्थल में अन्तःवासी के आवासन अवधि में न्यूनतम 5 वृद्धजन के मासिक भुगतान के बराबर राशि का भुगतान न्यूनतम सुनिश्चित हो। अर्थात 5X2300=11,500 रुपये मात्र का भुगतान निश्चित रूप से किया जाएगा चाहे आवासन 5 से कम ही क्यों न हो। आवासित वृद्धजन की संख्या 5 से अधिक होने की स्थिति में वास्तविक विपत्र का भुगतान होगा।

4. वृद्धजन आश्रय स्थल में अंतःवासी के भोजनादि की व्यवस्था के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर समीक्षोपरांत आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश दिये जाएंगे।

5. उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 योजना के अधीन मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल में भोजनादि के प्रबंध हेतु जीविका (शहरी) जीविका द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' को नामित करने की पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

6. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक–04.02.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–50 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/2/25

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 14/वृद्धजन आ०–15–01/2024– 505 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–11/02/25

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

10/2/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 14/वृद्धजन आ०–15–01/2024– 505 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–11/02/25

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 14/वृद्धजन आ०–15–01/2024– 505 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–11/02/25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/25

सरकार के सचिव।